मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (उद्यम/सेवा/व्यवसाय परियोजना की स्थापना हेतु)

1.	आवेद	क का पूरा नाम	:	
2.	पिता,	/ पति का नाम	:	
3.	(ক)	निवास स्थान एवं पत्राचार का पूर्ण पता	:	
	(ख)	दूरभाष / मोबाईल नम्बर	:	
	(ग)	प्रस्तावित इकाई स्थल का पता	:	
	(ঘ)	इकाई का दूरभाष/मोबाईल नम्बर	:	
4.	शैक्षपि	गक योग्यता (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	:	
5.	/ डि संस्थ (ME	ोकी योग्यता / अनुभव, जैसेः आइ.टी.आई. प्लोमा / इंजीनियरिंग / अन्य अधिकृत ओं द्वारा प्रदत्त मॉड्यूलर एम्प्लायबल रिक्ल्स S) प्रमाण–पत्र कोई हो, प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	:	
6.	(ক)	जन्म तिथि (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	:	
	(ख)	आवेदन दिनांक को उम्र	:	वर्षदिन
7.	(ক)	आवेदक की श्रेणी (अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी. सी./महिला/भूतपूर्व सैनिक/अल्पसंख्यक/ नि:शक्तजन) (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	:	
	(ঝ)	लिंग (पुरूष / महिला)	:	
8.	(ক)	प्रस्तावित गतिविधि का नाम (परियोजना प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करें)	:	

	(ब)	परियोजना का प्रकार (विनिर्माण इकाई / सेवा इकाई / व्यवसाय)	:	
9.	(अ)	परियोजना लागत (i) भूमि/भवन (स्वयं/किराये पर) (ii) मशीन/उपकरण/साज–सज्जा (iii) कार्यशील पूंजी योग	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	₹ ₹
	(অ)	(i) आवेदक की मार्जिन मनी (सामान्य श्रेणी के लिए परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित	:	₹
		वर्ग के लिए 5 प्रतिशत) (ii) अपेक्षित टर्म लोन (iii) कार्यशील पूंजी हेतु ऋण योग	:	
10.		वित बैंक शाखा का नाम जहां हितग्राही अपना प्रमाण भेजना चाहता है	:	1. 2.
11.		नेता विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, तो ठा विवरण (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	:	
12.	लिया	में शासन की ऐसी किसी योजना का लाभ हो अथवा लाभ प्राप्त किया जा रहा हो, तो ज विवरण।	:	
13	अन्स	कोई विवरण।		

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

<u>घोषणा</u> मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण बिन्दु क्रमाक—1 से 13 तक सत्य है और मेरे द्वारा कोई संगत तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

आवेदन-पत्र में संलग्न किये जाने वाले सहपत्रों की सूची

- 1. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन।
- राशन कार्ड/स्थाई निवास प्रमाण-पत्र/मतदाता पहचान-पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड (कोई भी एक)
- 3. शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
- 4. जन्मतिथि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
- 5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तजन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)।
- 6. सक्षम प्राधिकारी जारी जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो) ।
- 7. उद्यमी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)।
- ८. अन्य।

कार्यालय प्रयोगार्थ					
आवेदन-पत्र का क्रमांक	जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन–पत्र प्राप्ति का दिनांक				

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए प्रार्थना–पत्र

				q	र्ष					 			
	0												
	ग्रामी	υĮ							शहरी				
सेवा	महा	प्रबन्धः त्रा उद्द	क, प्रोग के	न्द्र,						स्व: '	सत्यापित	फोटो	
1.	ભામાર્ <u>થ</u>	ीं का	पूरा न	ाम एवं	आधार	् नम्बर							
2.	2. जन्म तिथि												
		दिन					महीना	•			वर्ष		
3.	लिंग												
	पुरू	<u>Ы</u>							स्त्री				
4.	4. पिता / पित का नाम / सम्पर्क व्यक्ति का नाम (संस्था के मामले में)												
5.	पत्र व्य	वहार,	/ स्थार	्री निवा	स का	पता							
	न नं.												
गली	नं.												
मौहत	ला/ग	वि/ ड	T.										
तहर	गील एवं	जिल	T										
फोन	नं. एस	टीडी	कोड ः	सहित									
मोबा	इल नं.												
									'	'			

प्रस्तावित इकाई	रथल का पूर्ण प	ता							
गांव / शहर									
डाकघर									
ब्लॉक				तहर	नील				
जिला				पिन	कोड				
7. परियोजना मंजूरी	ा के क्षेत्र में पसंद	के बैंक	का नाम	एवं पूर्ण	पता टे	टेलीफोन	नं. सहित	1	
बैंक का नाम									
गांव / शहर									
जिला									
टेलीफोन नं.									
8. शैक्षिक / प्राविधिक योग्यता (अ) शैक्षिक योग्यता बोर्ड / विश्वविद्यालय (ब) तकनीकी योग्यता बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान									
(अ) शक्षिक याग्यता आठवीं पास	ଜାଞ୍/ ।ପଃପାପଅ	ાલય	(a) ua	नाका र	ાગ્યતા	વાહ/1	वश्वावद्य	ાલય/	સંસ્થાન
हाईस्कूल इण्टरमीडिएट									
रनातक स्नातक									
स्नातकोत्तर									
CHAMAICA									
	9. क्या उद्यमिता विकास कार्यक्रम (न्यूनतम 3 से हां 10 दिवस) में भाग लिया है (निशान लगाएं)								
10. लाभार्थी किस श्रेणी से सम्बन्धित है (निशान लगाएं)									
अनु. अ.ज. जाति जाति	ओबीसी महित	त्रा वि	कलांग	भूतपूर्व सैनिक	अर	त्पसंख्यक	नगरी ग्रामी क्षेत्र		सामान्य
11. परियोजना का प्र	`	ााएं)							
उत्पादन / विनिम इकाई)ण 			सेवा / व	यवसाय				
12. प्रस्तावित उद्योग	12. प्रस्तावित उद्योग / सेवा / व्यवसाय का नाम								

13. परियोजना के लिए अपेक्षित ऋण राशि (रू. में)

भवन स्वयं			पूंजीगत र	व्यय ऋण		
का/ किराये	कार्यशाला /	मशीनरी एवं	परिचालन	कार्यशील	योग	प्रस्तावित
का	भवन	उपकरण	पूर्व लागत	पूंजी/		रोजगार
				नकद ऋण		
				सीमा		

13. क्या आवेदक द्वारा केन्द्र / राज्य सरकार की योजना या समान प्रकार की किसी अन्य योजना में पहले से लिये गये ऋण / अनुदान दिया गया है: हां / नहीं

मैं प्रमाणित करता हूं कि दी गई सभी सूचनाएं सत्य हैं, और यह कि मैंने और मेरे किसी आश्रित ने ऐसी कोई परियोजना स्थापित करने के लिए केन्द्र/किसी राज्य सरकार से या बैंक से सब्सिडी/सहबद्ध योजना के अन्तर्गत कोई राशि उधार नहीं ली है।

दिनांक-

रथान–

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणी:-

- निजी अंशदान के रूप में अजा./अजजा./अल्पसंख्यक/पिछडावर्ग भूतपूर्व सैनिक/विकलांग/महिला/पर्वतीय क्षेत्र के लिए 5 प्रतिशत और सामान्य के लिए 10 प्रतिशत निवेश होगा।
- 2. कुल परियोजना लागत विनिर्माण/उत्पादक इकाई के लिए रू. 5 लाख एवं सेवा/व्यवसाय इकाई के लिए रू. 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक को स्वयं के आंशदान के मामले में निर्धारित सीमा से अधिक अतिरिक्त मार्जिन राशि (सब्सिडी) पाने का अधिकार नहीं होगा।
- आवेदन–पत्र सब प्रकार से पूर्ण होना चाहिए और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न होनी चाहिए।
- अ.जा./अ.ज.जा./अपिव/शावि/पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के मामले में संगत प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए।
- 6. यदि उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण में भाग लिया हैं, तो प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करें। कार्यालय प्रयोग के लिए (निरस्त / जिला कार्यदल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएं) कारण: (यदि अस्वीकार किया गया हो)

दिनांक—

आवेदक के हस्ताक्षर नाम और पदनाम

. खान–

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत आवेदक द्वारा शपथ-पत्र (आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाए और यह अनिवार्य है)

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत उद्योग/सेवा/व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय लाभार्थी द्वारा घोषणा की जानी है।

में	, पुत्र/पुत्री/पत्नी	श्री / श्रीमती	
	~ ~	वॉक / तहसीलवॉकव्हासीलव्हासीलव्हासीलव्हासील	
जिला		यह घोषणा करता / करती हूं कि:	

- 1. मैंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अधीन प्रोजैक्ट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन प्रस्तुत करने से पहले विस्तार में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के दिशा निर्देशों तथा नियम एवं शर्तों, विशेष रूप से उद्योग/सेवा/व्यवसाय के स्वरूप, परियोजना में निवेश, स्वयं के योगदान आदि के बारे में निर्धारित मानदण्डों को पढ़ और समझ लिया है।
- 2. मैं समझ चुका / चुकी हूं कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए राज्य स्तर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय नोडल एजेंसी है और यह योजना जनपद के जिला उद्योग केन्द्र (DIC) के माध्यम से कार्यान्वित की जायेगी।
- 3. मैं समझ चुका / चुकी हूं कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अधीन ऋण के लिए आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाना है।
- 4. मैं समझ चुका / चुकी हूं कि मेरा आवेदन सूक्ष्म जांच (Scrutiny) तथा संक्षिप्त सूची बनाने (Shortlisting) के लिए जिला कार्य दल सिमित (DTFC) को भेजा जाएगा। मैं यह भी जानता / जानती हूं कि चुने हुए आवेदकों को प्रस्तावित प्रोजैक्ट के विषय में उनकी जानकारी, योग्यता, रूचि, कौशल, एवं उद्यमशीलता क्षमता, बाजार उपलब्धता, चुकाने की क्षमता और प्रस्तावित प्रोजैक्ट को सफलतापूर्वक चलाने की क्षमता का आंकलन एवं परियोजना की स्वीकृति हेतु बैंक को केवल सराहनीय चुने हुए आवेदकों की सिफारिश करने हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए प्रथम रूप में जिला कार्यदल सिमित द्वारा एक साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।
- 5. मैं समझ चुका / चुकी हूं कि प्रोजैक्ट की व्यवहार्यता (Viability) पर आधारित प्रोजैक्ट को मंजूरी देने का निर्णय लेने का अंतिम अधिकार जिला कार्यदल समिति को है।
- 6. एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अधीन प्रोजैक्ट लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने योग्य है। 'परिवार' में स्वयं और पित या पत्नी शामिल हैं।

- 7. मैं पूरी तरह से जानता / जानती हूं कि मार्जिन मनी सरकार द्वारा ''एक मुश्त सहायता'' है। क्रेडिट सीमा में किसी भी वृद्धि या प्रोजैक्ट के विस्तार / आधुनिकीकरण के लिए मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध नहीं है।
- 8. मैं शर्तों से सहमत हूं और मानता/मानती हूं कि एकबार ऋणी के पक्ष में मार्जिन मनी जारी हो जाता है, तो इसे लाभार्थी/संस्था के नाम से वित्त पोषक बैंक शाखा स्तर पर तीन वर्ष के सावधि जमा रसीद (TDR) में रखा जायेगा TDR पर कोई ब्याज देय नहीं होगा और TDR की समतुल्य ऋण पर कोई ब्याज चार्ज नहीं किया जायेगा।
- 9. मैं शर्तों से सहमत हूं और मानता / मानती हूं कि यद्यपि मार्जिन मनी बैंक के निर्दिष्ट नोडल ब्रांच द्वारा जारी होगी, फिर भी योजना के मापदण्डों पर आधारित दावे को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अंतिम अधिकार योजना को प्रायोजित करने वाली नोडल एजेन्सी को है।
- 10. मैं घोषणा करता / करती हूं कि मैंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत विचाराधीन प्रोजैक्ट के लिए किसी भी वित्तीय संस्था से कोई भी ऋण प्राप्त नहीं किया है और न ही किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार की प्रायोजित योजना से कोई अनुदान प्राप्त किया है।
- 11. यह भी प्रमाणित किया जता है कि आवेदन में दिए गए पते पर प्रस्तावित इकाई एक नयी इकाई है और मैं इस इकाई का एकमात्र स्वामी हूं।
- 12. मैं निर्धारित समय के अन्दर आवश्यक ईडीपी (EDP) प्रशिक्षण में भाग लेने की शर्त से सहमत हूं और मानता हूं।
- 13. मैं अपने / हमारे प्रोजैक्ट साइट के मुख्य प्रवेश द्वारा पर निम्नलिखित साइन—बोर्ड को प्रदर्शित करने हेतु सहमत हूं:—

(इकाई का नाम)
मुख्यमंत्री खरोजगार योजना के अधीन जिला उद्योग केन्द्र,
द्वारा प्रायोजित

- 14. मैं योजना दिशा—निर्देशों/मानकों इत्यादि के पूरा नहीं होने की स्थिति में मार्जिन मनी का हिस्सा/पूरी धनराशि वापस करने के लिए सहमत हूं।
- 15. मैं सहमत हूं कि यदि जिस किसी भी कारण से मार्जिन मनी का दावा करने हेतु इकाई अयोग्य पायी जाती है तो जिला उद्योग केन्द्र को स्वीकृत/अस्वीकृत करने या मेरे पक्ष में स्वीकृत मार्जिन मनी को वापस मंगाने का अंतिम अधिकार है और उस स्थिति में, मैं जिला उद्योग केन्द्र को मेरे प्रोजैक्ट पर प्राप्त पूरा/आंशिक मार्जिन मनी वापस करूंगा/करूगी।
- 16. मैं इकाई का भौतिक सत्यापन आयोजित करने के लिए प्राधिकृत जिला उद्योग केन्द्र, वित्त पोषक बैंक के अधिकारियों को अनुमित देने के लिए सहमत हूं और उन्हें मेरी इकाई के

विषय में भी जानकारी उपलब्ध कराउंगा/कराउंगी तथा बही खातों सहित आवश्यक दस्तावेज दिखाउंगा/दिखाउंगी।

- 17. मैं शर्तों से सहमत हूं और मानता / मानती हूं कि प्रोजैक्ट से सम्बन्धित किसी भी मामले पर जिला उद्योग केन्द्र के विरुद्ध कोई भी कानूनी सहारा लेने के लिए सिर्फ राज्य न्यायालयों के पास विशिष्ट क्षेत्राधिकार होगा।
- 18. यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी सभी जानकारी सही है और यदि कोई जानकारी गलत या भ्रामक होना पाया जाता है और सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने के गुप्त मकसद के साथ बनाया गया है, तो जिला उद्योग केन्द्र मुझ पर मुकदमा चलाने या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करने, जैसा उपयुक्त समझा जाए, के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक:	(लाभार्थी के हस्ताक्षर)
स्थान:	(नाम एवं पता)

- 1. निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र।
- 2. निवास का प्रमाण-पत्र राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड।
- 3. शपथ-पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित (उपरोक्तानुसार)।
- 4. किरायानामा अथवा यदि स्वयं का भवन है तो स्वामित्व अधिकार का प्रमाण–पत्र जैसे म्यूटेशन अथवा रजिस्ट्री की फोटो प्रति।
- 5. शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र।
- 6. जाति प्रमाण–पत्र यदि लागू हो (छायाप्रति राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित होना आवश्यक है)।

Please Tick (1) One of No. 1 and any one of Number 2

1 Male Female 2	Gen SC ST	OBC Minority Ex-Servi	iceman PH HBA			
H.O./C (Application Form cun Department,	C.O n Receipt for cla Govt. of Uttaral	Bank aiming "Govt. Subsidy" fron khand by beneficiary and Ba DCK LETTER OR TYPED)	nk			
From:- The Branch Manager,	Tehsil District	Full Postal Address of the Vill/Town Road P.OPin District State				
Ref. No.		Date:				
To The Directorate of Industries, Department of MSME, Uttarakhand, Patel Nagar, Dehradun. (THROUGH THE FINANCING BANK's) Sub.: Payment of "Gov. Subsidy" against the Bank Finance sanctioned under Chief Minister Self-Employment Programme of MSME Department, Uttarakhand						
Sir, I/We		son/daughte	er/wife of			
		Chairman/President/Managing hereby inform that a Indu				
been		(Name of the Fi	nancing Bank)			
		District				
State of Drainet Cost	1	Means of Finance	Amount (Pa)			
Details of Project Cost A) Capital Expenditure:-	Amount (Rs.)	Own Contribution	Amount (Rs.)			
(i) Workshed						
(ii) Machinery/Equipment		Term Loan for Fixed Capital				
B) Working Capital		Cash Credit for Working				
b) werming empress		Capital				
TOTAL (Rs.)		TOTAL (Rs.)				
		included in the Capital Expend	diture under the			
	· /					
Signature of the beneficiary.						

2.	I/We, therefore request you to Rs (Rupees.	only) bein	g the Govt. Subsidy
	sanctioned by the DIC. The det		ler:
2.1	(a) Full name of the beneficiary	•	
	(b) Father's Name (In case of In	ndividual)	
	(c) Date of Birth of individual		
	(d) Full address (with Pin Code)		
	(e) Legal Status/Constitution (F	1 0 /	
	(f) Registration No. and date, if	any	
2.2	Location of the unit		
	(Village, Taluka, District and St	,	
2.3	Name of Village Industry Activ	ity (Please specity)	
2.4	(a) General Category or		YES/NO
	(b) Whether the b	peneficiary belongs to	
	SC/ST/Minority/OBC/ExServ	vicemen/PHC/Women/HBA	
	(Please Specity)		
2.5	Employment envisaged	a) Full time	
2.6	Particulars of deposit of Own	a) Nature of Deposit	SB/CD
	Contribution	,	
		b) Account No.	
		c) Date of deposit	
		d) Amount deposited	Rs
2.7	Bank's Sanction Letter No.	(Copy of sanction order to	
		be enclosed)	
		Date of Sanction	
2.8	Date and amount of first disbu		
	(Certified copy of ledger extract		
2.9	Whether the sanction is covered	,	
2.,,	Scheme for Micro, Small Indust		
3.	I/We hereby agree to abide by	the terms and conditions and	instructions issued by
0.	the Department of MSME, Go		
	and those to be issued in futur		
	progress report on production,		
	in turn will send the informa		
	Uttarakhand for record and fur		or Moine, Gove. or
	Citalakilalid for record and full	arei miormadon.	
4.	I/We hereby declare that the G	Fout Subsidy has not been clair	ned either by me or by
٦.	any other person of my family i		
	family one subsidy" norm has		
	been/will not be utilize to adju		
	me/us in the past.	ist of square off any previous i	ioan, advance taken by
	me, as m are past.		
C:			
Signat	ure of the beneficiary		

Place:	Yours faithfully,				
12.	claim are correct and if any information is found to be false or leads to misguiding the authorities with ulterior motive of availing Govt. Subsidy. I/We should be subjected to any punishment as deemed fit in the eyes of law. The Advance Stamp Receipt of Govt. Subsidy amount is also attached				
11.	level utilization of 100% within two years period before the Govt. Subsidy amount is adjusted with the loan amount. It is hereby declared that all facts furnished above by me/us in the Govt. Subsidy the following the facts for the facts of the control of the c				
10.	on working capital loan/cash credit facility, if the said WC Loan/CC facility is not adequately utilized as per stipulated norms of MSME Department. The average utilization of working capital during the first year of operation of the unit should not be less that 75% of the sanctioned limit and the limit should touch at least one peak				
10.	respect of Credit Guarantee Fund Scheme for Micro, Small Industries operated by CGTMSE, if the Bank in its discretion decides to recover the same. I/We, hereby undertake to refund proportionate amount of Govt. subsidy calculated				
9.	Financed by(Bank) under CMSEP Scheme of MSME Department, Govt. of Uttarakhand I/We are ready to bear the amount of Gurantee fee and Annual Service fee in				
	(unit name)				
8.	institute). Certified that I/we shall display following sing-board at the main entrance of my/our project site:-				
7.	Certified that I/We have already undergone necessary EDP Training of				
7	Subsidy is in my name only and I am the sole proprietor of this unit. It is also declared that, it is not a Partnership Firm/Private Company.				
6.	Bank)(Name of the Branch) in my/our favour under(Activity/Industry) is a new village industry unit and not an existing unit. (*) It is also certified that the unit located at the address mentioned in the Govt.				
5.	Certified that the unit financed by(Name of Financing				

Signature of the Beneficiary SEAL

COUNTERSIGNED BRANCH MANAGER

(SEAL OF THE BANK BRANCH)

RECEIPT		
Received Rs(Rupeesonly) from		
	rector of Industries, Department of MSME, Uttarakhand, Patel Nagar, Dehradun	
towards the payment of "Govt. Subsidy" in respect of project for		
sanctioned for Rsby		
Bank a	tBranch	
	(Revenue Stamp)	
	(Signature of the Applicant)	
Note: In case of a Co. operative Society/Institution, Seal has to be affixed.		
(FOR THE USE OF THE BANK/BRANCH)		
1.	In consideration of the project of the above beneficiary/Institution, our Bank/Branch has sanctioned a loan of Rs	
	appraisal of the project at this end. As again a loan of Rs	
	(E.E. Rs W.C. Rs) the bank has released first	
	installment/full lump sum amount of loan of Rs	
	in Term Deposit in the name of the beneficiary for 3 years from the date of release	
	of first installment of the loan. It is confirmed that no interest will be paid on the	
	amount of TDR by the Bank and no interest will be charged on the corresponding	
	amount of the loan for a period of 3 years. The Bank is aware, that if the advance	
	goes "bad" before 3 years, Govt. Subsidy will be adjusted to liquidate loan liability	
	of the beneficiary with interest. Recovery, if any, effected lated will be remitted to the Commission.	
2.	Certified that the unit sanctioned by our Bank Branch in favour of Shri/Smt/Ms.	
	is a new unit and not an existing unit. The	
	instant Govt. Subsidy claim is in conformity for utilization/adjustment partly or	
	wholly, of any dept deemed bad or doubtful of recovery or to adjust/liquidate any	
	past loan/advance.	
3.	Certified copy of the Sanctioned order of the Bank and certified ledger extracts of	
_	the borrower's Terms loan A/c and Cash credit account is/are enclosed	
4.	Shri/SmtSon/daughter/wife of	
5.	Certified that the unit sanctioned by our Bank Branch in favour of	
0.	Shri/Smt./Ms	
	amount released to the unit will proportionately recovered and remitted to MSME	
	Department if the unit does not adequately utilize the WC/CC facility as per	
	MSME Department norms i.e the average utilization of WC during the first year of	
	operation of the unit should not be less that 75% of the sanctioned limit and the	
	limit should touch at least one peak level utilization of 100% within 3 years period	
Place:	before the Govt. subsidy is adjusted with the loan amount.	
Date:	(Signature) (Designation of the Bank Official)	
Date.	SEAL	
Enclos	sures: As above. (Signature Code/P.A. No	

TO BE STAMPED AS AN AGREEMENT AS PER THE STATE STAMP ACT IN FORCE LETTER OF UNDERTAKING TO BE SIGNED BY THE BORROWER FINANCE UNDER CMSEP

To, The Branch Manager,
LOAN SANCTIONED UNDER THE CHIEF MINISTER'S SELF EMPLOYMENT PROGRAMME SCHEME FOR
(ACTIVITY)
I/We have been sanctioned with a loan for Rs
(Rupees) on
for which necessary documents have been executed by me/us. I/We shall become eligible
for Margin Money Assistance of Rs(Rupees)
under the above scheme only after Directorate of Industries/DIC approves my/our eligibility for the Margin Money. Pending approval & admission of the claim by
Directorate of Industries/DIC the Margin Money Subsidy amount may be retained in a
Term deposit Account with the Bank in my/our name for three years with lien marked for
the loan sanctioned. In case of non-admission/non approval of claim by Directorate of
Industries/DIC the Bank shall be entitled to.
(a) Refund the subsidy in full to the Directorate of Industries/DIC.(b) To convert the sanction into one or the other of its schemes at its sole discretion
without any further reference to me in this regard.
(c) I further undertake to blind myself and abide by the decisions/actions taken by the
Bank this regard as aforesaid.
Yours faithfully,
Signature of Borrower
Date: